भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
राँची

ई-निविदा आमंत्रण सूचना
राँची, झारखंड में विभिन्न स्थानों पर अवस्थित पट्टे पर लिए गए फ्लैटों के साप्ताहिक बाथरूम सफाई एवं तिमाही गहन सफाई हेतु

भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची क्षेत्रीय कार्यालय, राँची, झारखंड में विभिन्न स्थानों पर अवस्थित पट्टे पर लिए गए फ्लैटों के साप्ताहिक बाथरूम सफाई एवं तिमाही गहन सफाई हेतु ई-निविदा आमंत्रित करता है। निविदा, विस्तृत निविदा-सूचना के साथ, बैंक की वेबसाइट https://www.rbi.org.in पर 20 मई, 2026 को "Tenders" मेनू के अंतर्गत उपलब्ध रहेगी।

2. निविदा प्रक्रिया की अनुसूची निम्नवत् है:

क्र.	**गतिविधि**	**संभावित तिथि**
1	ई-निविदा सं.	RBI/RANCHI REGIONAL OFFICE/Estate/1/26-27/ET/105 [Cleaning of Leased Flats]
2	निविदा की पद्धति	ई-अधिप्राप्ति प्रणाली (ऑनलाइन भाग I — तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एवं भाग II — मूल्य बोली एमएसटीसी पोर्टल https://www.mstcecommerce.com के माध्यम से)
3	**अनुमानित लागत**	**₹9,00,000.00**
4	पक्षों के लिए डाउनलोड हेतु भा.रि.बैं. की वेबसाइट पर निविदा-सूचना (पूर्ण निविदा सहित) उपलब्ध कराने की तिथि	20 मई 2026
5	https://www.mstcecommerce.com पर भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) एवं भाग-II (मूल्य बोली) प्रस्तुत करने हेतु ई-निविदा प्रारंभ होने की तिथि	20 मई 2026 को अपराह्न 03:00 बजे
6	भा.रि.बैं., राँची में प्री-बिड बैठक (ऑफ़लाइन) की तिथि	26 मई 2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे
7	बयाना जमा-राशि	**₹18,000.00**
8	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एवं मूल्य बोली प्रस्तुत करने हेतु ई-निविदा बंद होने की तिथि	11 जून 2026 अपराह्न 03:00 बजे तक
9	भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खोलने की तिथि एवं समय	11 जून 2026 को अपराह्न 04:00 बजे

बैंक न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा किसी भी निविदा को पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

टिप्पणी: सभी निविदाकार कृपया नोट कर लें कि भविष्य में जारी किया जाने वाला निविदा का कोई भी परिशिष्ट / शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल ऊपर उल्लिखित बैंक की वेबसाइट पर ही अधिसूचित किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
राँची

भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
राँची

भाग – I

राँची, झारखंड में विभिन्न स्थानों पर अवस्थित पट्टे पर लिए गए फ्लैटों के साप्ताहिक बाथरूम सफाई एवं तिमाही गहन सफाई हेतु ई-निविदा - **RBI/RANCHI REGIONAL OFFICE/Estate/1/26-27/ET/105[Cleaning of Leased Flats]**

निविदाकार का नाम:

पता:

(टिप्पणी: इस दस्तावेज़ में दर उद्धृत न करें। सभी दरें एमएसटीसी पोर्टल पर ऑनलाइन उद्धृत की जानी हैं। चार्ट में दर्शाई गई सभी मदें केवल प्रतिनिधित्व-उद्देश्य से दी गई हैं।)

यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैं.) की संपत्ति है। उक्त प्रयोजन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रत्युत्तर देने के अतिरिक्त, बैंक की लिखित अनुमति के बिना इसे किसी भी माध्यम — इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्यथा — पर प्रतिलिपित, वितरित अथवा अभिलिखित नहीं किया जा सकता। इस दस्तावेज़ की अंतर्वस्तु का प्रयोग, यहाँ निर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए, प्राधिकृत कार्मिकों / अभिकरणों द्वारा भी, सर्वथा निषिद्ध है और कॉपीराइट के उल्लंघन के रूप में परिगणित होगा तथा भारतीय विधि के अंतर्गत दंडनीय होगा।

<u>अस्वीकरण</u>

भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची ने इच्छुक पक्षों को कार्य संबंधी पृष्ठभूमि की जानकारी देने हेतु यह दस्तावेज़ तैयार किया है। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस दस्तावेज़ में निहित सूचना तैयार करते समय समुचित सावधानी बरती है और इसे सटीक मानता है, तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा इसके किसी प्राधिकारी या अभिकरण अथवा इनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, अभिकर्ताओं या सलाहकारों में से कोई भी, इस दस्तावेज़ में निहित सूचना अथवा इसके साथ संलग्न किसी भी सूचना की पूर्णता अथवा सटीकता के संबंध में कोई आश्वासन नहीं देता और न ही कोई अभिव्यक्त या गर्भित अभ्यावेदन करता है।

यह सूचना सर्वांगपूर्ण होने के लिए अभिप्रेत नहीं है। इच्छुक पक्षों से अपेक्षित है कि वे स्वयं जाँच-पड़ताल करें। इस ई-निविदा के उत्तरदाताओं से अपेक्षित है कि वे अपनी जाँच-पड़ताल स्वयं करें और रिक्त ई-निविदा दस्तावेज़ों / प्रपत्रों में निहित सूचना पर ही पूर्णतः निर्भर न रहें। यदि उत्तरदाताओं द्वारा उचित सावधानी नहीं बरती जाती है तो इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

यह सूचना इस आधार पर प्रदान की जा रही है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा इसके किसी प्राधिकारी या अभिकरण अथवा इनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, अभिकर्ताओं अथवा सलाहकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह कार्य को आगे न बढ़ाए अथवा कार्य के विन्यास में परिवर्तन करे, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय-सारणी में संशोधन करे अथवा प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया या कार्यविधि में परिवर्तन करे। बैंक यह अधिकार भी सुरक्षित रखता है कि वह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार कर दे। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

ई-निविदा भाग – I

खंड क (निविदा-अनुसूची)

राँची, झारखंड में विभिन्न स्थानों पर अवस्थित पट्टे पर लिए गए फ्लैटों के साप्ताहिक बाथरूम सफाई एवं तिमाही गहन सफाई हेतु।

क्र	गतिविधि	संभावित तिथि
1	ई-निविदा सं.	RBI/RANCHI REGIONAL OFFICE/ Estate/1/26-27/ET/105 [Cleaning of Leased Flats]
2	निविदा की पद्धति	ई-अधिप्राप्ति प्रणाली (ऑनलाइन भाग I — तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एवं भाग II — मूल्य बोली एमएसटीसी पोर्टल https://www.mstcecommerce.com के माध्यम से)
3	**अनुमानित लागत**	**₹ 9,00,000.00**
4	पक्षों के लिए डाउनलोड हेतु भा.रि.बैं. की वेबसाइट पर निविदा-सूचना (पूर्ण निविदा सहित) उपलब्ध कराने की तिथि	20 मई 2026
5	https://www.mstcecommerce.com पर भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) एवं भाग-II (मूल्य बोली) प्रस्तुत करने हेतु ई-निविदा प्रारंभ होने की तिथि	20 मई 2026 को अपराह्न 03:00 बजे
6	भा.रि.बैं., राँची में प्री-बिड बैठक (ऑफ़लाइन) की तिथि	26 मई 2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे
7	बयाना जमा-राशि	**₹ 18,000.00**
8	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एवं मूल्य बोली प्रस्तुत करने हेतु ई-निविदा बंद होने की तिथि	11 जून 2026 अपराह्न 03:00 बजे तक
9	भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खोलने की तिथि एवं समय	11 जून 2026 को अपराह्न 04:00 बजे
10	लेन-देन शुल्क	एमएसटीसी पेमेंट गेटवे / एनईएफ़टी के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में लेन-देन शुल्क का संदाय।

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

राँची, झारखंड में विभिन्न स्थानों पर अवस्थित पट्टे पर लिए गए फ्लैटों के साप्ताहिक बाथरूम सफाई एवं तिमाही गहन सफाई हेतु

भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची क्षेत्रीय कार्यालय, राँची, झारखंड में विभिन्न स्थानों पर अवस्थित पट्टे पर लिए गए फ्लैटों के साप्ताहिक बाथरूम सफाई एवं तिमाही गहन सफाई हेतु ई-निविदा आमंत्रित करता है। निविदा, विस्तृत निविदा-सूचना के साथ, बैंक की वेबसाइट https://www.rbi.org.in पर 20 मई, 2026 को "Tenders" मेनू के अंतर्गत उपलब्ध रहेगी।

2. निविदा प्रक्रिया की अनुसूची निम्नवत् है:

क्र.	गतिविधि	संभावित तिथि
1	ई-निविदा सं.	RBI/RANCHI REGIONAL OFFICE/ Estate/1/26-27/ET/105 [Cleaning of Leased Flats]
2	निविदा की पद्धति	ई-अधिप्राप्ति प्रणाली (ऑनलाइन भाग । — तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एवं भाग II — मूल्य बोली एमएसटीसी पोर्टल https://www.mstcecommerce.com के माध्यम से)
3	**अनुमानित लागत**	**₹9,00,000.00**
4	पक्षों के लिए डाउनलोड हेतु भा.रि.बैं. की वेबसाइट पर निविदा-सूचना (पूर्ण निविदा सहित) उपलब्ध कराने की तिथि	20 मई 2026
5	https://www.mstcecommerce.com पर भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) एवं भाग-II (मूल्य बोली) प्रस्तुत करने हेतु ई-निविदा प्रारंभ होने की तिथि	20 मई 2026 को अपराह्न 03:00 बजे
6	भा.रि.बैं., राँची में प्री-बिड बैठक (ऑफ़लाइन) की तिथि	26 मई 2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे
7	बयाना जमा-राशि	**₹18,000.00**
8	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एवं मूल्य बोली प्रस्तुत करने हेतु ई-निविदा बंद होने की तिथि	11 जून 2026 अपराह्न 03:00 बजे तक
9	भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खोलने की तिथि एवं समय	11 जून 2026 को अपराह्न 04:00 बजे

बैंक न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा किसी भी निविदा को पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

टिप्पणी: सभी निविदाकार कृपया नोट कर लें कि भविष्य में जारी किया जाने वाला निविदा का कोई भी परिशिष्ट / शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल ऊपर उल्लिखित बैंक की वेबसाइट पर ही अधिसूचित किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
राँची

खंड – ग
ई-अधिप्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण अनुदेश

यह भारतीय रिज़र्व बैंक का एक ई-अधिप्राप्ति आयोजन है। ई-अधिप्राप्ति सेवा प्रदाता / संविदाकार एमएसटीसी लिमिटेड है।
आपसे अनुरोध है कि अपनी ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना तथा बाद में, यदि कोई हो, जारी किए गए शुद्धिपत्र को पढ़ें एवं समझ लें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

क) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में विक्रेता का एमएसटीसी ई-अधिप्राप्ति पोर्टल पर पंजीकरण सम्मिलित है, जो निःशुल्क है। पंजीकरण के पश्चात् ही विक्रेता अपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा/सकेंगे। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली तथा मूल्य बोली, दोनों, इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएँगी। विक्रेता के पास वर्ग-III हस्ताक्षर एवं एनक्रिप्शन प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। इंटरनेट से जुड़े पी.सी. से बोली प्रस्तुत करने की व्यवस्था विक्रेताओं को स्वयं करनी होगी। ऐसी व्यवस्था करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक उत्तरदायी नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियाँ अभिलिखित नहीं की जाएँगी।)
विशेष टिप्पणी: मूल्य बोली एवं वाणिज्यिक बोली केवल www.mstcecommerce.com/eprocn/ (संस्करण 3) पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी हैं।

1) विक्रेताओं को www.mstcecommerce.com/eprocn पर स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत करना अपेक्षित है।

Register as Vendor — विवरण भरें तथा अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाकर सबमिट करें। विस्तृत जानकारी हेतु Download Guide / Video / Registration पर जाएँ।

विक्रेताओं को पंजीकरण-प्रपत्र भरते समय दिए गए ईमेल पर पंजीकरण की पुष्टि करने वाला सिस्टम-जनित मेल प्राप्त होगा। किसी भी स्पष्टीकरण हेतु ई-निविदा के निर्धारित समय से पूर्व कृपया एमएसटीसी / भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क करें।

संपर्क-विवरण:

विक्रेताओं के लिए संपर्क-व्यक्ति (एमएसटीसी):

प्रधान कार्यालय केंद्रीय हेल्प डेस्क: (विक्रेताओं के लिए)

फोन नंबर: 07969066600

helpdeskho@mstcindia.in (ईमेल भेजते समय कृपया विषय में "HO Helpdesk" का उल्लेख करें)

उपलब्धता — सभी कार्य-दिवसों पर पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक, ई-निविदा से संबंधित सभी तकनीकी मुद्दों, सिस्टम सेटिंग्स इत्यादि के लिए।

क) संपर्क-व्यक्ति (एमएसटीसी)

i) श्री श्रियांश जैन, ईमेल आईडी: rncopn2@mstcindia.in, मोबाइल: 7411651015

ii) श्री तन्मय दत्ता, ईमेल आईडी: rncopn4@mstcindia.in, मोबाइल: 9674487807

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक में संपर्क-व्यक्ति

क्र.	संपर्क-व्यक्ति	ईमेल	मोबाइल
1	श्री बसंत पॉल मिंज, सहायक महाप्रबंधक, भा.रि.बैं., राँची	basantminj@rbi.org.in	9167494362
2	श्री नितिन गौरव, प्रबंधक, भा.रि.बैं., राँची	nitingaurav@rbi.org.in	9455143206
3	श्री अमित कुमार, सहायक प्रबंधक, भा.रि.बैं., राँची	amitkumar4@rbi.org.in	8405908938

दिशानिर्देश :

<u>1. सिस्टम संबंधी अपेक्षा:</u>

विवरण हेतु विक्रेता https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर उपलब्ध DOWNLOAD SYSTEM SETTING GUIDE देख सकते हैं।

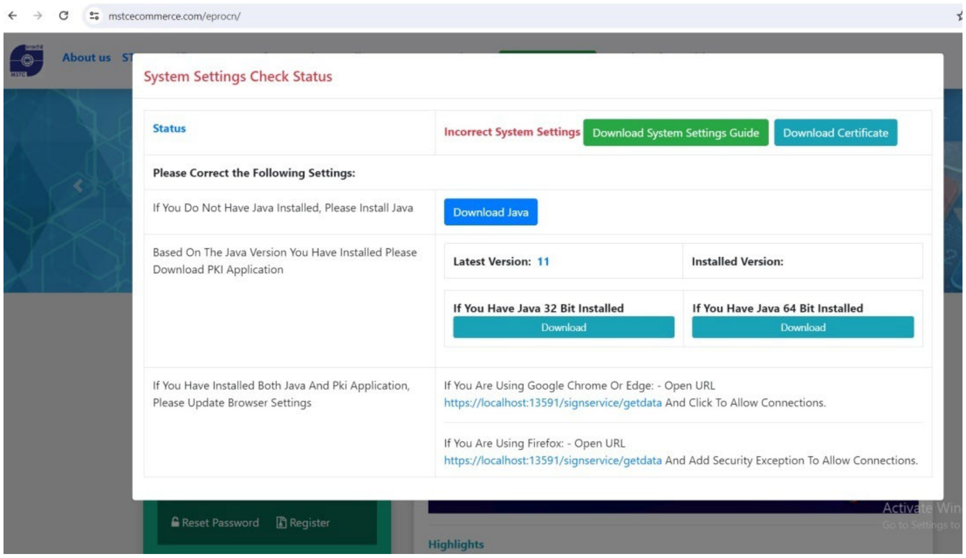

<u>2. लेन-देन शुल्क संबंधी विशेष टिप्पणी:</u> विक्रेता अपने लॉगिन के माध्यम से "Bid Floor" में संबंधित विशिष्ट निविदा के सापेक्ष "Transaction Fee Payment" लिंक का प्रयोग करते हुए अथवा "Event catalog" में "Pay Transaction fee" के माध्यम से लेन-देन शुल्क का भुगतान करेंगे। सेवा प्रदाता / संविदाकार / विक्रेता को एनईएफ़टी अथवा ऑनलाइन भुगतान, दोनों में से किसी भी माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफ़टी का चयन करने पर सेवा प्रदाता / संविदाकार / विक्रेता प्रपत्र भरकर एक चालान सृजित करेगा। सेवा प्रदाता / संविदाकार / विक्रेता चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार, उसमें कोई परिवर्तन किए बिना, लेन-देन शुल्क की राशि प्रेषित करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर सेवा प्रदाता / संविदाकार / विक्रेता को अपने क्रेडिट / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करने का प्रावधान उपलब्ध होगा। भुगतान एमएसटीसी के नामनिर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाने पर लेन-देन शुल्क स्वतः प्राधिकृत हो जाएगा।

<u>लेन-देन शुल्क अप्रतिदेय है।</u> लेन-देन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता को ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुँच प्राप्त नहीं होगी।

<u>टिप्पणी:</u> बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आयोजन के बंद होने के समय से पर्याप्त रूप से पहले लेन-देन शुल्क प्रेषित कर दें ताकि उन्हें बोली प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय मिल सके।

3. निविदा-अंतिमीकरण की प्रक्रिया तक निविदाओं / शुद्धिपत्रों संबंधी जानकारी केवल ईमेल के माध्यम से ही भेजी जाएगी। अतः विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि एमएसटीसी लिमिटेड के पास विक्रेता के पंजीकरण के समय दिया गया उनका कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध एवं अद्यतन है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध है कि वे अपने वर्ग-III हस्ताक्षर एवं एनक्रिप्शन प्रकार के डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित कर लें।

4. निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) में उल्लिखित नियत तिथि एवं समय के पश्चात् ई-निविदा तक पहुँच प्राप्त नहीं की जा सकती।

5. ई-निविदा में बोली लगाना:

टिप्पणी: विक्रेताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़-लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने हेतु My Menu में *Upload Documents* लिंक का प्रयोग करें। एक से अधिक दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड हेतु एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है।

एक बार दस्तावेज़ लाइब्रेरी में अपलोड हो जाने पर, विक्रेता संबंधित ई-निविदा के सापेक्ष *Attach Document* लिंक के माध्यम से दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज़ किसी ई-निविदा के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं तो भारतीय रिज़र्व बैंक उन्हें डाउनलोड नहीं कर पाएगा और यह माना जाएगा कि विक्रेता ने दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए हैं। आगे की सहायता हेतु कृपया वेंडर गाइड के अनुदेशों का पालन करें।

क) बोलीदाताओं को ई-निविदा के लिए आवश्यक बयाना जमा-राशि (ईएमडी), ई-निविदा शुल्क (यदि कोई हो) तथा लेन-देन शुल्क पृथक्-पृथक् प्रस्तुत करना अपेक्षित है। लेन-देन शुल्क, यदि कोई हो, अप्रतिदेय है। बयाना जमा-राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाता(ओं) की बयाना जमा-राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वापस की जाएगी।

ख) इस प्रक्रिया में तकनीकी-वाणिज्यिक बोली तथा मूल्य बोली प्रस्तुत करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक बोली-प्रक्रिया सम्मिलित है।

जिन बोलीदाताओं ने उपर्युक्त शुल्क प्रस्तुत किया है, वे ही एमएसटीसी की वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियाँ एवं मूल्य बोली प्रस्तुत कर सकते हैं — e-procurement → New Common Portal → Bid Floor Manager → live event → Selection of the live event → Transaction fee → Common terms → Attach Documents → Price Bid।

कृपया ध्यान दें: लेन-देन शुल्क तथा बयाना जमा-राशि के विवरण सफलतापूर्वक प्रेषित कर देने के पश्चात् विक्रेता अपने लॉगिन में attach documents तथा common terms टैब सक्षम पाएगा। इस चरण के सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के पश्चात्, विक्रेताओं को लॉट-विशिष्ट शर्तें संरक्षित (save) करने तथा लॉट के सापेक्ष पोर्टल के माध्यम से अपनी मूल्य बोली प्रस्तुत करने की अनुमति होगी अथवा, यथास्थिति, मूल्य बोलियाँ प्रस्तुत करने हेतु एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड कर अपलोड करने की अनुमति होगी। यदि attach documents और/या common terms को संरक्षित करने का चरण असफल रहता है, तो लॉट-विशिष्ट शर्तें संरक्षित करने तथा मूल्य बोली प्रस्तुत करने के टैब निष्क्रिय रहेंगे। यह सफल/लंबित है या नहीं, इसकी स्थिति बिड-स्टेटस बटन में प्रदर्शित होगी।

ग) पहले विक्रेता को वाणिज्यिक विशिष्टि (commercial specification), यदि कोई हो, भरकर संरक्षित करनी होगी। तत्पश्चात् विक्रेता को तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरनी चाहिए। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के पश्चात्, बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली अभिलिखित करने हेतु "save" पर क्लिक करना चाहिए। ऐसा करने के पश्चात् मूल्य बोली का लिंक सक्रिय हो जाता है तथा बोलीदाता को उसे भरकर अपनी मूल्य बोली अभिलिखित करने हेतु "save" पर क्लिक करना चाहिए। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एवं मूल्य बोली, दोनों के संरक्षित हो जाने के पश्चात्, बोलीदाता अपनी बोली पंजीकृत करने हेतु "Final Submission" बटन पर क्लिक कर सकता है।

<u>टिप्पणी:</u> Final Submission पर क्लिक करने के पश्चात् "Delete bid" विकल्प प्रदर्शित होगा। यदि विक्रेता Final Submission के पश्चात् बोली को विलोपित कर पुनः प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे delete bid पर क्लिक कर बोली पुनः प्रस्तुत करनी होगी और पुनः Final Submission पर क्लिक करना होगा।

घ) सभी स्थितियों में, बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय अपनी ही आईडी एवं पासवर्ड के साथ-साथ डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करना चाहिए।

ङ) संपूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता परस्पर एवं अन्य सबके लिए पूर्णतः अज्ञात रहेंगे।

च) ई-निविदा फ़्लोर पूर्व-घोषित तिथि एवं समय से प्रारंभ होकर ऊपर उल्लिखित अवधि तक खुला रहेगा।

छ) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ बोलीदाता पर वैधानिक रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत वैध बोली माना जाएगा तथा क्रेता द्वारा उसकी स्वीकृति, आपूर्ति/कार्य के निष्पादन हेतु क्रेता एवं बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी संविदा का गठन करेगी। ऐसे सफल निविदाकार को इसके पश्चात् **आपूर्तिकर्ता/संविदाकार** कहा जाएगा।

ज) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियाँ वर्ग-III हस्ताक्षर एवं एनक्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत की जाएँ, अन्यथा वही सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं की जाएँगी।

झ) क्रेता को बिना कोई कारण बताए, यथास्थिति, निविदा को पूर्णतः अथवा अंशतः रद्द करने, अस्वीकृत करने, स्वीकार करने, वापस लेने अथवा विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है।

ञ) ई-निविदा दस्तावेज़ के निबंधनों एवं शर्तों से कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-निविदा फ़्लोर पर बोली प्रस्तुत किया जाना ई-निविदा के निबंधनों एवं शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।

ट) मापन-इकाई (यूओएम) ई-निविदा फ़्लोर पर इंगित है। उद्धृत की जाने वाली दर ई-निविदा फ़्लोर / निविदा दस्तावेज़ में इंगित यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए।
एनआईटी में उल्लिखित नियत तिथि एवं समय के पश्चात् ई-निविदा तक पहुँच प्राप्त नहीं की जा सकती।

ई-निविदा में बोली लगाना:

क) सभी बोलीदाताओं द्वारा ₹ 18,000/- (₹ अठारह हज़ार मात्र) की बयाना जमा-राशि भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची के पक्ष में एनईएफ़टी के माध्यम से बैंक को प्रस्तुत की जाएगी।

एनईएफ़टी लेन-देन के लिए खाते का विवरण निम्नवत् है:

लाभार्थी का नाम: Reserve Bank of India, Ranchi
आईएफएससी: RBIS0RNPA01 (आईएफएससी का पाँचवाँ एवं दसवाँ अक्षर शून्य है)
खाता सं.: 186003001

लेन-देन संख्या के साथ प्रेषण-प्रमाण (स्कैन की हुई प्रति) संलग्न / अपलोड की जानी चाहिए। बोलीदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे लेन-देन संख्या के साथ प्रेषण-प्रमाण (स्कैन की हुई प्रति) **allotmentranchi@rbi.org.in** पर भेजें।

ऐसी बयाना जमा-राशि के साथ संलग्न न होने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। बयाना जमा-राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेता(ओं) की बयाना जमा-राशि निविदा-आमंत्रक प्राधिकारी द्वारा यथासमय वापस की जाएगी।

ख) इस प्रक्रिया में तकनीकी एवं वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक बोली-प्रक्रिया सम्मिलित है।

ग) जिन विक्रेताओं ने लेन-देन शुल्क प्रस्तुत किया है, वे ही एमएसटीसी की वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली एवं वाणिज्यिक बोली

प्रस्तुत कर सकते हैं — eprocurement → PSU/Govtdepts → Login *under RBI → My menu → Auction Floor Manager → live event → Selection of the live event*

घ) विक्रेता के पास चालू JAVA एप्लिकेशन होना चाहिए। यह कार्य बिड फ़्लोर खुलने के तुरंत बाद किया जाना है। तत्पश्चात् उन्हें Common terms / Commercial specification भरनी होगी और उसे संरक्षित करना होगा। उसके बाद उन्हें Technical bid पर क्लिक करना चाहिए। यदि यह JAVA एप्लिकेशन नहीं चलता है, तो विक्रेता अपनी तकनीकी बोली संरक्षित/प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

ङ) तकनीकी बोली भरने के पश्चात्, विक्रेताओं को उसे अभिलिखित करने हेतु "save" पर क्लिक करना होगा। एक बार वाणिज्यिक बोली का लिंक सक्रिय हो जाने और विवरण भर लिए जाने पर, विक्रेताओं को वाणिज्यिक बोली अभिलिखित करने हेतु "save" पर क्लिक करना होगा। तकनीकी बोली एवं वाणिज्यिक बोली, दोनों के संरक्षित हो जाने के पश्चात्, विक्रेता को बोलियाँ पंजीकृत करने हेतु "Final submission" बटन पर क्लिक करना होगा।

च) विक्रेताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ अपलोड करने हेतु Attach Doc बटन का प्रयोग करें। एक से अधिक दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।

छ) सभी स्थितियों में, विक्रेताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करते समय अपनी ही आईडी एवं पासवर्ड के साथ-साथ डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करें।

ज) संपूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान विक्रेता परस्पर एवं अन्य सबके लिए पूर्णतः अज्ञात रहेंगे।

झ) ई-निविदा फ़्लोर पूर्व-घोषित तिथि एवं समय से प्रारंभ होकर ऊपर उल्लिखित अवधि तक खुला रहेगा।

ञ) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ विक्रेता पर वैधानिक रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा प्रस्तुत वैध बोली माना जाएगा तथा क्रेता द्वारा उसकी स्वीकृति, आपूर्ति के निष्पादन हेतु क्रेता एवं विक्रेता के बीच एक बाध्यकारी संविदा का गठन करेगी।

ट) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियाँ डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत की जाएँ, अन्यथा सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं की जाएँगी।

ठ) क्रेता को बिना कोई कारण बताए, यथास्थिति, निविदा को पूर्णतः अथवा अंशतः रद्द करने, अस्वीकृत करने, स्वीकार करने, वापस लेने अथवा विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है।

निविदा दस्तावेज़ के निबंधनों एवं शर्तों से कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है।

किसी भी विक्रेता द्वारा ई-निविदा फ़्लोर पर बोली प्रस्तुत किया जाना निविदा के निबंधनों एवं शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।

इस निविदा से उद्भूत होने वाला कोई भी आदेश इसमें उल्लिखित निबंधनों एवं शर्तों द्वारा शासित होगा। निविदा-आमंत्रक प्राधिकारी को यह अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को रद्द कर दे अथवा बोली(यों) की प्राप्ति की नियत तिथि को विस्तारित कर दे।

विक्रेताओं से अनुरोध है कि बोली लगाने से पूर्व सिस्टम से परिचित होने हेतु www.mstcecommerce.com/eprocn पृष्ठ पर वेंडर गाइड पढ़ें तथा वीडियो देखें।

प्रस्ताव-पत्र

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
प्रथम तल, ज़िला परिषद भवन,
कचहरी चौक, राँची (झारखंड)

महोदया

इसके आगे प्रस्तुत ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विशिष्टियों, रेखांकनों, अभिकल्पनाओं तथा परिमाणों की अनुसूची का परीक्षण कर लेने के पश्चात्, उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल का दौरा एवं परीक्षण कर लेने तथा निविदा को प्रभावित करने वाली आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेने के उपरांत, हम एतद्द्वारा प्रस्ताव करते हैं कि उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, संलग्न परिमाण-अनुसूची में उल्लिखित दरों पर, सभी पक्षों से निविदा की शर्तों, करार की धाराओं, विशेष शर्तों, परिमाणों की अनुसूची तथा संविदा की शर्तों में संदर्भित विशिष्टियों, अभिकल्पनाओं, रेखांकनों एवं लिखित अनुदेशों के अनुरूप, उपलब्ध कराई गई सामग्रियों के साथ तथा अन्य सभी संबंधों में, जहाँ तक लागू हो, उक्त शर्तों के अनुरूप संपन्न करने के लिए हम आपूर्ति एवं निष्पादन का प्रस्ताव करते हैं।

ज्ञापन

(क)	कार्य का नाम	राँची, झारखंड में विभिन्न स्थानों पर अवस्थित पट्टे पर लिए गए फ्लैटों के साप्ताहिक बाथरूम सफाई एवं तिमाही गहन सफाई।
(ख)	कार्य की अनुमानित लागत	
(ग)	बयाना जमा-राशि (ईएमडी)	

2. यदि यह निविदा स्वीकार की जाती है, तो मैं/हम एतद्द्वारा सहमत हैं कि इसके साथ संलग्न संविदा की उक्त शर्तों के निबंधनों एवं उपबंधों का, जहाँ तक वे लागू हों, पालन एवं अनुपालन करेंगे।
3. हमारे बैंकर हैं:

i) ____

____

ii) ____

____

4. हमारी फर्म के स्वत्वधारी / भागीदारों के नाम हैं:

i) ____

ii) ____

फर्म के उस भागीदार का नाम जिसे
हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत किया गया है। __________________________________

अथवा

संविदा पर हस्ताक्षर करने हेतु मुख्तारनामा-धारक व्यक्ति का नाम (मुख्तारनामे की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए)। __________________________________

भवदीय, ________________________
संविदाकार के हस्ताक्षर।

[टिप्पणी: यदि पक्ष एकल स्वत्व वाली फर्म अथवा कोई व्यष्टि है, तो उस पर स्वत्वधारी अथवा व्यष्टि द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। यदि पक्ष भागीदारी फर्म है, तो उस पर सभी भागीदारों द्वारा अथवा सभी भागीदारों की ओर से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। यदि पक्ष एक निजी सीमित फर्म / निगमित कंपनी है, तो उसके निदेशक मंडल द्वारा __________ को आयोजित बैठक में पारित संकल्पों के अनुसरण में फर्म की साझा मुहर लगाई जानी चाहिए (संकल्प की प्रति संलग्न की जानी चाहिए)। यदि संविदाकार साझा मुहर के अंतर्गत हस्ताक्षर करता है, तो हस्ताक्षर-धारा संगम-अंतर्नियम की मुद्रांकन-धारा से मेल खानी चाहिए।]

साक्षीगण:

1) ________________________ (हस्ताक्षर)
पता ______________________________

____

2) ________________________ (हस्ताक्षर)
पता ______________________________

____

कार्य का परिक्षेत्र:

निम्नानुसार विस्तृत सेवाएँ प्रदान की जानी अपेक्षित होंगी:
-

(i) शौचालय/बाथरूम की साप्ताहिक सफाई (अनुलग्नक I के अनुसार 43 फ्लैट):

• खिड़की के शीशों की झाड़-पोंछ / सफाई, एग्ज़ॉस्ट फैनों, फ्लश टैंकों/सिस्टर्न, वॉश बेसिनों, दर्पणों, रैकों इत्यादि की सफाई।

• झाड़ू लगाना तथा जाले हटाना।

• ब्रांडेड टॉयलेट/बाथरूम क्लीनर का प्रयोग करते हुए टाइलों, सीटों, मूत्र-पात्रों (यूरिनल पॉट्स), सिंक, वॉश बेसिन, प्लेटफ़ॉर्म, शौचालय-पात्रों (टॉयलेट पॉट्स) की गीली सफाई (सफाई-सामग्रियाँ बैंक द्वारा आपूर्त की जाती हैं)।

• साथ ही खिड़की के शीशों, काँच के दर्पणों, रैकों इत्यादि पर पोंछा लगाना।

(ii) अधिकारियों के प्रत्येक अध्यासित/रिक्त फ्लैट की तिमाही गहन सफाई: अधिकारियों/कर्मचारियों के फ्लैटों की संख्या - 43 (अनुलग्नक I के अनुसार)

• जालों की सफाई।

• रसोई, बाथरूम, शौचालय, बालकनी इत्यादि सहित सभी कमरों की सफाई।

• शौचालय/बाथरूम सहित सभी कमरों एवं बालकनी की खिड़कियों, खिड़की के शीशों, ग्रिलों, दरवाज़ों, वेंटिलेटरों, मच्छरदानियों इत्यादि की झाड़-पोंछ।

• सफाई में फ़र्श, वॉल डेडो, प्लंबिंग एवं सैनिटरी फिटिंग्स तथा फिक्स्चर, ग्लेज़्ड वेंटिलेटर, दीवारों, छत, पंखों, बत्तियों की झाड़-पोंछ, बाथरूम/शौचालय में उपलब्ध कराई गई सहायक-सामग्रियाँ जैसे दर्पण, बाल्टी/मग/साबुनदानी इत्यादि भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी — बैंक की आवश्यकतानुसार भविष्य में फ्लैटों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी हो सकती है।

बोलीदाताओं का विवरण

फर्म का विवरण –

क्र	विवरण	बोलीदाता द्वारा भरा जाएगा
1	एकल स्वत्व है अथवा भागीदारी फर्म अथवा कंपनी	
2	फर्म के स्वत्वधारी / भागीदारों / निदेशकों के नाम	
3	प्रबंध भागीदार, प्रबंध निदेशक, मुख्तारनामा-धारक इत्यादि का नाम	
4	फर्म का पता	
5	टेलीफोन / मोबाइल	
	ईमेल	
	फ़ैक्स	

फर्म के बैंकर का विवरण

क्र	विवरण	बोलीदाता द्वारा भरा जाएगा
1	बैंक का नाम	
2	शाखा का पता	
3	आईएफएससी कोड (रद्द किया गया चेक संलग्न किया जा सकता है)	
4	टेलीफोन एवं फ़ैक्स नंबर	
5	संपर्क-व्यक्ति का नाम	
6	बैंक से फर्म द्वारा उपभोग की जा रही ऋण सुविधा / ओवरड्राफ़्ट सुविधा की राशि	
7	जिस अवधि से फर्म बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है	
8	बैंक खाता संख्या	
9	खाते का प्रकार	
10	खाताधारक का पूरा नाम	
11	स्थायी खाता संख्या (पैन)।	
12	जीएसटी सं.	

मैं/हम एतद्द्वारा सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि कर्मचारियों का वेतन एनईएफ़टी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में संवितरित करेंगे और यदि उपर्युक्त कार्य हमारी फर्म/कंपनी को सौंपा जाता है, तो उसके संबंध में भुगतान भी एनईएफ़टी के माध्यम से स्वीकार करेंगे।

मुहर/तिथि के साथ बोलीदाता के हस्ताक्षर

करार की प्रारूप-शर्तें

यह सेवा संविदा राँची में दिनांक .... को .... (जिन्हें इसके पश्चात् "संविदाकार" कहा जाएगा, जिस पद में इनके उत्तराधिकारी सम्मिलित हैं), जिनका निवास .... पर है, तथा दूसरी ओर भारतीय रिज़र्व बैंक, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत स्थापित एक निगम है (जिसे इसके पश्चात् "बैंक" कहा जाएगा, जिस पद में इसके उत्तराधिकारी एवं समनुदेशिती सम्मिलित हैं), अपने सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी .... के माध्यम से कार्य करते हुए, के बीच की गई।

दोनों पक्ष एतद्द्वारा निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों से आबद्ध होने के लिए सहमत होते हैं:-

1. एएमसी की अवधि 01 जुलाई, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक होगी तथा यदि प्रदान की जा रही सेवाएँ संतोषजनक हों, तो बैंक के एकमात्र विवेकाधिकार पर इन्हीं निबंधनों एवं शर्तों पर इसे आगे विस्तारित किया जा सकता है।

2. बैंक मोबाइल सं. .... पर शिकायत दर्ज कराएगा। पते अथवा मोबाइल नंबर में किसी भी परिवर्तन की सूचना संविदाकार द्वारा अग्रिम रूप से दी जानी चाहिए। टेलीफोन/ईमेल/पत्र के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों पर शिकायत दर्ज होने के 24 घंटों के भीतर ध्यान दिया जाना है।

3. यह संविदा किसी अन्य व्यक्ति को परित्याग/उपहार की स्थिति में हस्तांतरणीय नहीं है तथा कोई वापसी नहीं की जाएगी।

4. सभी विवाद राँची के क्षेत्राधिकार के अधीन हैं।

5. संविदाकार सभी नियोजित श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्धारित दर से कम न होने वाली दर पर मजदूरी का भुगतान करेगा तथा ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (सीएलआरए अधिनियम) के सभी उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा, और ऐसी मजदूरी का भुगतान न करने तथा सीएलआरए अधिनियम के अनुपालन में चूक के लिए सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा बैंक के विरुद्ध आरंभ की जा सकने वाली सभी कार्रवाइयों के विरुद्ध बैंक को क्षतिपूरित रखेगा।

6. संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि वे सभी सामग्रियाँ एवं सूचनाएँ जो इस करार अथवा इसके निष्पादन के संबंध में उसके अधिकार अथवा जानकारी में आ चुकी हैं अथवा आएँगी — चाहे वे गोपनीय एवं स्वामित्व-संबंधी आँकड़ों से युक्त हों अथवा नहीं — जिनका तृतीय पक्षों को प्रकटन अथवा उनके द्वारा प्रयोग बैंक के लिए हानिकारक हो सकता है अथवा बैंक को क्षति पहुँचा सकता है, उन्हें वह सर्वदा सर्वथा कठोर गोपनीयता

में रखेगा तथा इस करार में वर्णित अपने दायित्वों के निर्वहन के अतिरिक्त उनका कोई प्रयोग नहीं करेगा और उन्हें केवल ऐसे कर्मचारियों को ही प्रकट करेगा जिन्हें यहाँ वर्णित दायित्वों के निर्वहन के प्रयोजन हेतु ऐसी सूचना अपेक्षित है, किसी अन्य पक्ष को नहीं। संविदाकार सहमत है कि वह अपने कर्मचारियों के संबंध में उचित कार्रवाई करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के अंतर्गत गोपनीय सूचना के अप्रकटन के दायित्व पूर्णतः पूरे हों।

7. इस संविदा को दोनों में से कोई भी पक्ष 30 दिनों की सूचना देकर समाप्त कर सकता है। किसी भी कारण से संविदा-समाप्ति की स्थिति में, संविदाकार/उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति अथवा उसके अभिकर्ता प्रतिकर, क्षति-निवारण अथवा अन्य किसी भी रूप में बैंक से कोई भी राशि अथवा राशियाँ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

8. संविदाकार को सभी पट्टे पर लिए गए फ्लैटों में बाथरूम की साप्ताहिक सफाई तथा पंखों, खिड़कियों, रसोई-स्लैब इत्यादि की तिमाही गहन सफाई सुनिश्चित करनी होगी। संविदाकार को प्रति पट्टा-फ्लैट बाथरूम की साप्ताहिक सफाई हेतु ₹ …………/- तथा तिमाही गहन सफाई हेतु ₹ ………… की दर से भुगतान किया जाएगा, जो संविदाकार के बैंक खाते में एनईएफ़टी के माध्यम से जमा किया जाएगा। उल्लिखित राशि के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान — यथा परिवहन इत्यादि — नहीं किया जाएगा। देय राशि सभी करों से रहित होगी।

9. संविदाकार द्वारा किए जाने वाले कार्य (कृपया निविदा का परिक्षेत्र देखें) –

(i) बाथरूम की सफाई (साप्ताहिक)
(ii) गहन सफाई (तिमाही)
  क) रसोई-स्लैब की सफाई
  ख) खिड़कियों की सफाई
  ग) पंखों की सफाई
  घ) जालों की सफाई

10. बाथरूम-सफाई हेतु संबंधित व्यक्ति को प्रत्येक शनिवार/रविवार को अथवा अनुदेशों के अनुसार पट्टा-फ्लैटों का दौरा करना होगा। सफाई-सामग्री बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

11. प्रत्येक पट्टे पर लिए गए फ्लैट में सफाई (बाथरूम सफाई/गहन सफाई) का कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात्, संविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारूप पर स्टाफ-सदस्य/घरेलू सदस्य के हस्ताक्षर प्राप्त कर ले।

12. कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष का कोई नाम, चिह्न अथवा प्रतीक किसी प्रचार-विज्ञप्ति अथवा विज्ञापन-सामग्री में अथवा किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं करेगा, और न ही दूसरे पक्ष की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना (जिसे अनुचित रूप से रोका नहीं जाएगा) इस करार से संबंधित किसी भी सूचना का प्रचार करेगा।

13. तैनात की गई किसी भी कामगार की उनकी ड्यूटी एवं नियोजन के दौरान अथवा उसके कारण होने वाली मृत्यु अथवा चोट अथवा दुर्घटना के लिए किसी भी प्रकार के प्रतिकर के भुगतान हेतु बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। यह सहमत है तथा समझ लिया गया है कि तैनात किए गए व्यक्तियों को ऐसी क्षतिपूर्ति अथवा प्रतिकर का भुगतान करने के लिए केवल संविदाकार ही उत्तरदायी होगा।

14. संविदाकार "कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के उपबंधों का अनुपालन करेगा। बैंक के परिसर के भीतर उसके किसी कर्मचारी के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत संविदाकार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दाखिल की जाएगी तथा संविदाकार उक्त अधिनियम के अंतर्गत शिकायत के संबंध में उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध संविदाकार के किसी पीड़ित कर्मचारी की लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

हस्ताक्षर-खंड

कि इस संविदा के अनेक भागों को संविदाकार ने पढ़ लिया है तथा संविदाकार ने उन्हें पूर्णतः समझ लिया है।
इसके साक्ष्य में, बैंक तथा संविदाकार (यदि संविदाकार भागीदारी फर्म अथवा व्यष्टि है) ने इस आलेख तथा इसकी दो अनुलिपियों पर ऊपर सर्वप्रथम लिखित तिथि एवं वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर किए।

इसके साक्ष्य में, नियोक्ता ने अपने सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से इस आलेख पर हस्ताक्षर किए तथा संविदाकार ने (यदि संविदाकार कंपनी है) ऊपर सर्वप्रथम लिखित तिथि एवं वर्ष को इस पर अपनी साझा मुहर लगवाई एवं इसकी उक्त दो अनुलिपियाँ अपनी ओर से निष्पादित करवाईं।

भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची द्वारा हस्ताक्षरित एवं परिदत्त

श्री/श्रीमती ...., भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची-834001 के द्वारा

हस्ताक्षर एवं तिथि ______________________

(नाम ___________________________________)

निम्नलिखित की उपस्थिति में

क) ....
(नाम एवं पता)

ख) ....
(नाम एवं पता)

.... द्वारा हस्ताक्षरित एवं परिदत्त
हस्ताक्षर एवं तिथि ____________________

(नाम ___________________________________)

निम्नलिखित की उपस्थिति में

क) ....
(नाम एवं पता)
ख) ....
(नाम एवं पता)

निबंधन एवं शर्तें

ये खंड संविदा के भाग हैं और इन शीटों को विधिवत् हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर निरपवाद रूप से वापस किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर निविदा-दर स्वीकार नहीं की जा सकती है।

1. निविदा-दर केवल एमएसटीसी पोर्टल पर ऑनलाइन ही प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस शर्त के उल्लंघन से निविदा-दर अस्वीकृत हो सकती है।

2. निविदा-दर उसके खोले जाने की तिथि से तीन माह की अवधि तक वैध रहेगी। दरें कार्य पूर्ण होने तक अटल रहेंगी और किसी भी मद में कोई वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

3. दरें सभी प्रासंगिक करों, परिवहन प्रभारों इत्यादि तथा कार्य की संपूर्णता हेतु अपेक्षित सभी सहायक-सामग्रियों सहित होंगी। किसी भी कारण से कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी जाएगी।

4. बैंक न्यूनतम बोली अथवा किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए स्वयं को बाध्य नहीं करता।

5. संविदाकार को बैंक को अपना ऐसा फोन/मोबाइल नंबर देना चाहिए जिस पर वह चौबीसों घंटे उपलब्ध हो तथा आपात स्थिति में 24 × 7 घंटे संपर्क किया जा सके।

6. संविदाकार कार्य पर तैनात व्यक्ति का जीवन-वृत्त (बायो-डेटा) पासपोर्ट आकार के फ़ोटोग्राफ़ सहित प्रस्तुत करेगा। नियमित कर्मचारी की अनुपस्थिति की स्थिति में, संविदाकार द्वारा बैंक को पूर्व-सूचना देते हुए, अनुरक्षण-कार्य संपन्न करने के लिए एक वैकल्पिक व्यक्ति को प्राधिकृत किया जाएगा।

7. यदि अध्यासक सफाई हेतु अनिच्छुक हो, तो फर्म को अध्यासक से कार्य-रिपोर्ट शीट पर इस आशय की विधिवत् हस्ताक्षरित स्वीकृति लेनी होगी कि वह सफाई हेतु अनिच्छुक है, जिसका सत्यापन दावा किए गए चालान का भुगतान करने से पूर्व किया जाएगा। भुगतान वास्तव में साफ़ किए गए फ्लैटों एवं बाथरूमों के लिए ही किया जाएगा।

8. बिलिंग वास्तविक रूप से किए गए कार्य के आधार पर की जाएगी, न कि फ्लैटों/यूनिटों की कुल संख्या के अनुसार।

9. फ्लैटों की वास्तविक संख्या में भिन्नता हो सकती है तथा भुगतान वास्तविक के अनुसार किया जाएगा।

10. संविदाकारों को स्थल का परीक्षण करना चाहिए तथा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति, कार्य-दशाओं एवं कार्य के अनुमन्य निष्पादन की अवधि से स्वयं को भली-भाँति परिचित कर लेना चाहिए।

11. कार्य के निष्पादन के दौरान बैंक की संपत्ति को होने वाली किसी भी क्षति को संविदाकारों द्वारा बैंक के अभियंता के निदेशानुसार ठीक किया जाएगा, अन्यथा बैंक उसे संविदाकारों के जोखिम एवं लागत पर ठीक करवा सकता है।

12. कार्य बैंक की संलग्न विशिष्टियों तथा संविदा की शर्तों के अनुसार, जो निविदा-दर दस्तावेज़ों में उपबंधित हैं, संपन्न किया जाएगा। इन दस्तावेज़ों का निरीक्षण कार्यालय-समय में किसी भी चरण पर बैंक के संपदा विभाग द्वारा किया जा सकता है।

13. कार्य सामान्यतः सामान्य कार्य-समय में किए जाएँगे। तथापि, यदि कार्यालय-समय के बाद कार्य कराने की अपेक्षा हो, तो अध्यासकों को किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किए बिना कार्य-समय / अवकाश एवं रविवार के बाद कार्य करने हेतु पूर्व अनुमति ली जा सकती है।

14.कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण

क) संविदाकार "कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के उपबंधों के पूर्ण अनुपालन हेतु पूर्णतः उत्तरदायी होगा। बैंक के परिसर के भीतर उसके किसी कर्मचारी के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत संविदाकार / अभिकरण द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दाखिल की जाएगी तथा संविदाकार / अभिकरण उक्त अधिनियम के अंतर्गत शिकायत के संबंध में उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

ख) नियोक्ता के किसी कर्मचारी के विरुद्ध संविदाकार के किसी पीड़ित कर्मचारी की लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान नियोक्ता द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

ग) यदि घटना में संविदाकार के कर्मचारी/श्रमिक संलिप्त हों, तो संविदाकार किसी भी मौद्रिक प्रतिकर के लिए उत्तरदायी होगा जिसका भुगतान करना अपेक्षित हो — उदाहरणार्थ, यदि संविदाकार के कर्मचारी/श्रमिक द्वारा लैंगिक हिंसा सिद्ध हो जाती है, तो नियोक्ता के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत।

घ) संविदाकार कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के निवारण तथा संबंधित विषयों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने हेतु उत्तरदायी होगा।

ङ) संविदाकार नियोक्ता के परिसर के भीतर तैनात अपने कर्मचारियों की पूर्ण एवं अद्यतन सूची उपलब्ध कराएगा।

15. **विवाद-समाधान**

क. कृपया विधिवत् नोट कर लिया जाए कि इस निविदा के निबंधनों एवं शर्तों पर किसी / सभी विवादों के मामले में निविदा दस्तावेज़ का अंग्रेज़ी संस्करण अभिभावी होगा (यदि निविदा अंग्रेज़ी तथा एक साथ किसी अन्य भाषा में जारी की जाती है)।

ख. इस करार के अंतर्गत किसी भी प्रकार के सभी विवाद एवं मतभेद एकमात्र मध्यस्थ, अर्थात् क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची को संदर्भित किए जाएँगे तथा उनका लिखित निर्णय अंतिम एवं सेवा प्रदाता पर बाध्यकारी होगा। माध्यस्थम् कार्यवाहियाँ माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा शासित होंगी।

16. **बयाना जमा-राशि**: संविदाकार ₹ 18,000/- (₹ अठारह हज़ार मात्र) की दर से बयाना जमा-राशि (ईएमडी) एनईएफ़टी के माध्यम से जमा करेगा [एनईएफ़टी का विवरण: लाभार्थी का नाम — "भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची"; आईएफएससी कोड: RBIS0RNPA01 (बायीं ओर से पाँचवें एवं दसवें स्थान पर अंक शून्य); खाता सं. 186003001], जिस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। लेन-देन संख्या के साथ प्रेषण-प्रमाण (स्कैन की हुई प्रति) निविदा दस्तावेज़ के साथ प्रस्तुत किया जाना है। बैंक सफल संविदाकार की उक्त राशि को संपूर्ण संविदा-अवधि के लिए प्रतिधारित करेगा।

17. आय कर एवं अन्य करों की लागू कटौती की जाएगी।

18. **भुगतान के निबंधन**: स्थल पर मापे गए वास्तविक कार्य पर कार्य के संतोषजनक निष्पादन के पश्चात्, अथवा जैसा बैंक उचित समझे, कार्य-निष्पादन के दौरान खाते के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

19. खंड 1 एवं 2 में दिए गए अनुदेशों में से किसी का अनुपालन न करने पर निविदा-दर अस्वीकृत हो सकती है।

20. **बीमा**: सफल संविदाकार बैंक की मानक बीमा-धारा के अनुसार पॉलिसी में सर्वप्रथम बैंक का नाम अंकित रखते हुए निम्नलिखित बीमा प्राप्त करेगा।
    क. कर्मचारी प्रतिकर बीमा

21. संविदाकार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित सभी अपेक्षाओं का पालन एवं अनुपालन करेगा।

22. संविदाकार बैंक को कार्य के एकल दिवस पर लगाए जाने वाले अपेक्षित संख्या में श्रमिक प्रस्तुत करेगा।

23. संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियोजित सभी श्रमिकों /श्रमिक-कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी + परिवर्ती महँगाई भत्ता (वीडीए) का भुगतान किया जाए।

24. संविदाकार क्षेत्रीय श्रम आयुक्त द्वारा अपेक्षित सभी रजिस्टर रखेगा तथा बैंक अथवा उसके प्रतिनिधि को, जब और जैसी अपेक्षा हो, वही प्रस्तुत करेगा।

25. यदि कार्य-आदेश जारी होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर कार्य आरंभ नहीं किया जाता है, तो बैंक बिना कोई कारण बताए कार्य-आदेश समाप्त कर सकता है। कार्य के निष्पादन के दौरान यदि कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं मानी जाती तथा कार्य पूर्ण होने की अवधि के अनुरूप नहीं है, तो बैंक संविदाकार को अंतिम सूचना देकर कार्य-आदेश समाप्त कर सकता है।

संविदाकार का नाम एवं पता:

संविदाकार के हस्ताक्षर एवं मुहर:

तिथि:
स्थान:

दर-रहित परिमाण-अनुसूची

मद	मद का विवरण	प्रति वर्ष सफ़ाई की संख्या	यूनिट दर (प्रति फ़्लैट प्रति वर्ष)
1	प्रत्येक फ्लैट के शौचालय/बाथरूम की साप्ताहिक सफाई	52	
2	प्रत्येक अध्यासित/ रिक्त फ्लैट की तिमाही सफाई	4	
		प्रति फ्लैट कुल दर (वार्षिक)	

****